

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक-स्था0/2024/7624

दिनांक- 21.12.2024

:: संशोधित-आदेश ::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश क्रमांक-07/विविध/2024 दिनांक 30.11.2024 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या स्था0/2024/7592 दिनांक 19.12.2024 के क्रम में बिन्दु संख्या 01 के में अंकित तालिका में क्रम संख्या 01 व 02, बिन्दु संख्या 3, 4 व 6 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य हेतु-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश की अवधि में जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीशों की अनुपस्थिति में इनके न्यायालय का आवश्यक दीवानी एवं फौजदारी कार्य निम्नांकित पीठासीन अधिकारीगण द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि अनुसार किया जायेगा-

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	न्यायालय खुले रहने की अवधि
1.	मनोज तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, जयपुर महानगर द्वितीय	26.12.2024 व 27.12.2024
2.	सुनील कुमार मीणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय	30.12.2024 व 31.12.2024

- प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखाओं का आवश्यक एवं दैनिक कार्य दिनांक-26.12.2024 से 27.12.2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-02, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा तथा दिनांक-30.12.2024 व 31.12.2024 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा देखा जायेगा।
- उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र के जिला एवं सेशन न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त आवश्यक लेखा संबंधी कार्यों के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 (क) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार निम्नांकित अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम	कार्य अवधि
1.	मनोज तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-02, जयपुर महानगर द्वितीय	26.12.2024 व 27.12.2024
2.	सुनील कुमार मीणा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध) जयपुर महानगर द्वितीय	30.12.2024 व 31.12.2024

- जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र में पदस्थापित निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण की दिनांक 25.12.2024 से 31.12.2024 तक शीतकालीन अवकाश की अवधि (राजवर्षीय अवकाशों को छोड़कर) में आवश्यकता होने पर ड्यूटी लगाई जा सकती है। अतः निम्न न्यायिक अधिकारीगण को रिजर्व ड्यूटी हेतु रखा जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त शीतकालीन अवकाश की अवधि में मुख्यालय पर ही उपस्थित रहे-

जिला एवं सेशन न्यायालय तथा अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों के कार्य के लिए रिजर्व ड्यूटी हेतु-

क्र0सं0	नाम अधिकारी (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री) व न्यायालय का नाम
1.	कृष्णा रावेंद्रकांबट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-01, जयपुर महानगर-द्वितीय (दिनांक 26.12.2024 व 27.12.2024 हेतु)
2.	पंकज कुमार कांबरा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-04, जयपुर महानगर-द्वितीय (दिनांक 30.12.2024 व 31.12.2024 हेतु)

शेष सम्पूर्ण आदेश यथावत रहेगा।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय

क्रमांक-स्था0/2024/ 7625

दिनांक- 21.12.2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा/तामील शाखा/प्रतिलिपि शाखा/रिकॉर्ड शाखा, जिला न्यायालय जयपुर, महानगर द्वितीय
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय
3. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय न्यायक्षेत्र
4. पुलिस आयुक्त, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस संबंध में समस्त थानाधिकारीगण को सूचित करावें।
5. मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा जिला न्यायालय परिसर, जयपुर
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर
7. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, जयपुर
8. अध्यक्ष/सचिव, दी बार एसोसियेशन, चौमू/आमेर/बगरू/वाणिज्यिक न्यायालय जयपुर
9. प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ मुंसरिम/वरिष्ठ निजी सहायक/कोर्ट मैनेजर/रीडर ग्रेड-1/वरिष्ठ लिपिक /नाजिर/ फौजदारी लिपिक/दीवानी लिपिक/इजराय लिपिक, जिला न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय
10. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय
11. आदेश/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली


जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर द्वितीय